16/5/17

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Muzaffarnagar.

No. 6010 / IV- 3798/ Admin (A) / Dated 08-05-2017

Subject:- Information, submitted by Sri Ravi Kant Yadav, the then Civil Judge (Junior Division), Mauranipur-Jhansi presently posted as Civil Judge (Senior Division), Muzaffarnagar about allotment of a 2BHK flat Type-A by Awadh Vihar Yojana, Shaheedpath, Lucknow.

Sir,

With reference to endt. no. 657/XV dated 23.03.2017 of the District Judge, Jhansi, on the above subject, I have to say that Sri Ravi Kant Yadav, Civil Judge (Senior Division), Muzaffarnagar may kindly be asked to submit information about purchase of flat on completion of the transaction also along with a copy of the sale deed of the flat and other relevant papers, in the light of the directions contained in Court's Circular letter no. 25/ Admin (A) dated 13.07.1998, for taking further necessary action in the matter.

Yours faithfully,

Rld 2/5/2017
Deputy Registrar (M)
02/5/17

Send it to the officer concerned for N.A.

District Judge
Muzaffarnagar
16/05/17

प्रेषक,

रविकान्त यादव
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
मऊरानीपुर, झांसी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

विषयः- **अचल सम्पत्ति क्रय किए जाने के सम्बन्ध में-**

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैंने एल०आई०सी० एच०एफ०एल०, झांसी से प्रदत्त ऋण के तहत एक 2B.H.K टाईप-A प्रकार का फ्लैट उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से परिषद की अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड), शहीदपथ, लखनऊ के सेक्टर-8 में अर्फोडेबुल हाउसिंग पालिसी के अन्तर्गत, " समाजवादी आवास योजना 2016" के अधीन गोमती एन्कलेव में आवंटन/क्रय किया है जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर नं०-25/एडमिन (ए) दिनांक 13.07.1998 के आलोक में निम्न सूचनाएं प्रेषित हैः-

क्रम संख्या	बिन्दु	सूचनाएं
1	सेवा में आने की तिथि	19.12.2009
2.	वर्तमान कुल वेतन तथा वर्तमान में कटौती के उपरान्त वेतन	कुल वेतन 75,820.00 कटौती के उपरान्त 56,270.00
3.	10,000/- रूपये अधिक मूल्य के कुल उस चल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण जिसे आज से पहले क्रय किया गया है, क्रय की तिथि व मूल्य के साथ	मेरे द्वारा इससे पूर्व कोई अचल सम्पत्ति क्रय नहीं की गई है तथा मेरे द्वारा इससे पूर्व एक कार मारूति स्वीफ्ट डिजॉयर VXI क्रय की गई थी जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को पूर्व में दिनांक 25.02.2011 को माननीय जनपद न्यायाधीश, देवरिया के पत्रांक सं०-224/XV दिनांक 25.02.11 प्रेषित की गई थी तथा उक्त कार लोन का A/C. No. 31586992938 दिनांक 2.7.14 को बन्द हो चुका है तथा उक्त लोन का भुगतान किया जा जा चुका है तथा जिसके सम्बन्ध में व अन्य चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचनाएं माननीय जनपद न्यायाधीश, बलिया के पत्रांक सं०-2223/XV दिनांक 22.7.2015 तथा पत्रांक सं०-719/I दिनांक 13.3.2015

r

		द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।
4.	क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त कोई ऋण लिया गया है, यदि हाँ तो ऋण की अदायगी कितनी किश्त है और कब तक पूर्ण होगी?	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त कोई ऋण नहीं लिया गया है
5.	अगर बैंक से ऋण लिया गया है तो उसकी धनराशि, कटौती का तरीका, कटौती की अवधि, किश्तों की संख्या	एल०आई०सी० एच०एफ०एल० झांसी से होम लोन लिया गया है जिसकी ब्जाय दर 8.70%P.a फ्लोटिंग रेट है। कटौती मासिक आधार पर वेतन से होगी। कटौती की अवधि 20 वर्ष, किश्तों की संख्या 240 है। एक किश्त 18,188.00 रूपया है। उक्त Sanction Ammount से 3,70,000/ रूपया आवास विकास परिषद उ०प्र० के पक्ष में एल०आई०सी एच०एफ०एल अदा किया गया है। शेष लोन का Sanction Ammount दिया जाना अभी शेष जो समय-समय पर आवास विकास परिषद के मांग पत्र के अनुसार 10 त्रैमासिक किश्तों में दिया जाना है।
6.	पुरानी कार के क्रय के सम्बन्ध में उसकी क्रय करने की तिथि। प्रथम क्रेता द्वारा क्रय करने की तिथि। बीमा पालिसी की स्थिति।	लागू नहीं।
7.	सम्पत्ति का विवरण, उसका क्षेत्रफल, स्थित मकान का आकार, जिस जगह स्थित है।	2 B.H.K टाईप-A, अनुमानित कीमत 24.11 लाख रूपये है। सुपर एरिया 77.09 वर्ग मी० निर्मित क्षेत्रफल 59.11 वर्ग मी० अवध विहार योजना (सुल्तानपुर रोड), शहीदपथ, लखनऊ के सेक्टर-8 में स्थित है जिसका अन्तिम प्रदेशन पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त फ्लैट का भौतिक कब्जा अभी प्राप्त नहीं किया गया है तथा बाद में प्राप्त होना है।
8.	डीलर/विक्रेता का पूर्ण पता व विवरण	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
9.	क्या डीलर नियमित व सम्मानित है?	हाँ।
10.	क्या न्यायिक अधिकारी, विक्रेता से किसी प्रकार से सम्बन्धित है व क्या विक्रेता का कोई वाद न्यायिक अधिकारी के यहां लम्बित है व क्या	न्यायिक अधिकारी का विक्रेता से से कोई सम्बन्ध नहीं है। विक्रेता का कोई वाद न्यायिक अधिकारी

विक्रेता का कोई वाद निर्णीत किया गया है?	के यहां लम्बित नहीं है व न ही न्यायिक अधिकारी द्वारा विक्रेता का कोई वाद निर्णीत किया गया।
11. धनराशि का श्रोत व उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य	एल०आई०सी०, एच.एफ.एल. द्वारा मुबलिग 20 लाख रूपये का ऋण Sanction किया गया है तथा इसके अतिरिक्त उक्त फ्लैट हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण धनराशि 1,21,000.00 मेरे द्वारा अपने वेतन व बचत से दिनांक 2.3.16 को बैंक ड्राफ्ट संख्या-335686 द्वारा दी गई इसके अतिरिक्त 2,44,000.00 की धनराशि मेरे द्वारा आवास विकास परिषद को बैंक ड्राफ्ट सं०-651307 द्वारा अपने वेतन व बचत से दी गई है।

ससम्मान।

दिनांक- झांसी।
22.03.2017

भवदीय

Ravikant yadav
22-03-17

(रविकान्त यादव)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
मऊरानीपुर, झांसी।

Office of the District Judge, JHANSI
Letter No. 657/XV dated 23.3.17
FORWARDED

DISTRICT JUDGE
JHANSI